न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 60 / 2012

अनवान : –

1. गोविन्दराम (फोत)
   1/1–रामकुमार पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल साकिन मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
   1/2–भजनाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल साकिन मालिया तहसील नोहर
   1/3–धर्मपाल पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल साकिन मालिया तहसील नोहर
   1/4–मुखराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल साकिन मालिया तहसील नोहर
   1/5–रामप्यारी पुत्री गोविन्दराम जाति मेघवाल साकिन मालिया तहसील नोहर
   1/6–दुनीदेवी पुत्री गोविन्दराम जाति मेघवाल साकिन मालिया तहसील नोहर

– वादी

बनाम्

1. काशीराम 2. भागीरथ 3. जयकिशन पुत्रगण ख्यालीराम जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता **वादीगण**
श्री विजयसिह कड़वासरा अधिवक्ता प्रतिवादी

<u>निर्णय</u> दिनांकः 30/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने दिनांक 11.12.89 को जरिये अधिवक्ता न्यायालय हाजा में वाद पेश किया। प्रकरण दिनांक 27.08.1994 को पत्रावली एसीएम भादरा स्थानान्तरित की गई। दिनांक 25.07.97 को पत्रावली सहायक कलक्टर भादरा से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर प्रकरण स0 244 / 1997 पुन दर्ज रजिस्टर की गई। दिनांक 30.03.2007 को वाद वादी खारिज किया गया। दिनांक 30.03.2007 के निर्णय के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के अपील संख्या 42 / 2007 पेश हुई माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.11.2011 के द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2007 को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया की उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ादी ने विरुद्ध प्रतिवादीगण को एक वाद इस आशय का पेश किया कि रोही मोजा मालिया तहसील नोहर साबिका ख०नं० 36 मिन की 20 बीघा भूमि का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। पैमाईश हाल में आराजी मुतनाजा हाल ख०नं० [illegible] 6 बीघा 16 बिस्वा, 102 की 4 बीचा 4 विस्वा. 103 की 9 बीघा कुल 20 [illegible] है वादी हाल ख०नं० –98.102.103 की कुल 20 बीघा भूमि को लगातार काश्त करता [illegible] रहा है एवं रकम [illegible] रता आ रहा है मुताबिक काश्त वादी की अपनी सीवं बनी हुई है उसी अनुसार काश्त करता आ रहा है। पैमाईश हाल में हाल ख0न0 98 की 6 बीघा 16 बिस्वा. 103 – की 9 बीघा कुल 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि तो वादी के नाम सही दर्ज कर दीं लेकिन शेष 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी ने पैमाईशन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर

अधिकारियों से साज करके बिला अधिकार आधार, नाजायज रूपे से हाल ख0नं0 102 में मिलाकर करके अपने नाम दर्ज मी करा ली जबकि प्रतिवादी के नाम साबिका ख0नं0 36 मिन में 20 बीघा भूमि ही थी अब 24 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज करा ली है जबकि उसका कब्जा सिर्फ 20 बीघा भूमि पर ही है। वादी अपनी भूमि 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी के नाम कलमजन करा अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है। वादी ने प्रतिवादी को कई मर्तबा कहा कि वोह वादी की भूमि का जो प्रतिवादी के नाम गलत इन्द्राज हो रहा है को दुरुस्त कराकर वादी को 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार स्वीकार कर जमाबंदी को दुरूस्त कराले तो कुछ दिन तो टालमटोल करता रहा आखिर इंन्कार हो गया इसलिए यह वांद पेश किया गया है। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादीगण ने वाद के समर्थन में नकल मिसल बन्दोबस्त ईएक्सपी–1 नकल जमाबंदी संवत 2014 से 2017 ईएक्सपी–2 नकल मिलान क्षेत्रफल ईएक्सपी–3 नकल नक्शा ईएक्सपी–4 नकल मिसल बन्दोबस्त बहक वादी ईएक्सपी–5 नकल जमाबंदी संवत 2014 से 2017 बहक वादी ईएक्सपी–6 नकल गिरदावरी संवत 2012 से 2016 ईएक्सपी–7 नकल गिरदावरी संवत 2024 से 2027 ईएक्सपी–8 व नकल गिरदावरी संवत 2020 से 2024 ईएक्सपी–9 पेश किये तथा गोविन्द राम रूपाराम, चानण पुत्र खमान के बयान करवाये गये तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त आर०बी० जे० (10) 2003 पेज 118 पेश किये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मोजा मालिया तहसील नोहर साबिका ख०नं० 36 मिन की 20 बीघा भूमि का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। पैमाईश हाल में आराजी मुतनाजा हाल ख०नं० 98 की 6 बीघा 16 बिस्वा, 102 की 4 बीचा 4 विस्वा. 103 की 9 बीघा कुल 20 बीघा में परिवर्तित हो चुकी है। वादी हाल ख०नं० –98.102.103 की कुल 20 बीघा भूमि को लगातार काश्त करता आ रहा है एवं रकम अदा करता आ रहा है मुताबिक काश्त वादी की अपनी सीवं बनी हुई है उसी अनुसार काश्त करता आ रहा है। पैमाईश हाल में हाल ख0न0 98 की 6 बीघा 16 बिस्वा. 103 – की 9 बीघा कुल 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि तो वादी के नाम सही दर्ज कर दीं लेकिन शेष 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी ने पैमाईशन के अधिकारियों से साज करके बिला अधिकार आधार, नाजायज रूपे से हाल ख0नं0 102 में मिलाकर करके अपने नाम दर्ज मी करा ली जबकि प्रतिवादी के नाम साबिका ख0नं0 36 मिन में 20 बीघा भूमि ही थी अब 24 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज करा ली है जबकि उसका कब्जा सिर्फ 20 बीघा भूमि पर ही है। वादी अपनी भूमि 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी के नाम कलमजन करा अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण का कथन है कि पैमाईश हाल में हाल ख0न0 98 की 6

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बीघा 16 बिस्वा. 103 – की 9 बीघा कुल 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि तो वादी के नाम सही दर्ज कर दीं लेकिन शेष 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी ने पैमाईशन के अधिकारियों से साज करके बिला अधिकार आधार, नाजायज रूपे से हाल ख0नं0 102 में मिलाकर करके अपने नाम दर्ज मी करा ली जबकि प्रतिवादी के नाम साबिका ख0नं0 36 मिन में 20 बीघा भूमि ही थी अब 24 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज करा ली है जबकि उसका कब्जा सिर्फ 20 बीघा भूमि पर ही है। वादी अपनी भूमि 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक अधिवक्ता वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की 4.16 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के नाम कैसे दर्ज हुई है एवं वादीगण की कम कैसे हुई वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक भी स्पष्ट नही है। अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 60/2012

अनवान : –

1. गोविन्दराम (फोत)

1/1–रामकुमार पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल साकिन मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

1/2–भजनाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल साकिन मालिया तहसील नोहर

1/3–धर्मपाल पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल साकिन मालिया तहसील नोहर

1/4–मुखराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल साकिन मालिया तहसील नोहर

1/5–रामप्यारी पुत्री गोविन्दराम जाति मेघवाल साकिन मालिया तहसील नोहर

1/6–दुनीदेवी पुत्री गोविन्दराम जाति मेघवाल साकिन मालिया तहसील नोहर

– वादी

बनाम्

1. काशीराम 2. भागीरथ 3. जयकिशन पुत्रगण ख्यालीराम जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 60 सन 2012 निर्णय दिनांक 30/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पूनिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...30/01/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested